**संख्या:71/2023/211/35-4-2023/001-514वीआईपी/35-4-2020टीसी-।।।**

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 09 फरवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-आगरा के **ग्राम बुर्ज खंजर से गढ़ी छैजीत की ओर सड़क का नव निर्माण कार्य** की शासनादेश सं0-323/2022/1117/35-4099/43/2022/35-4-2022, दिनांक 16 सितम्बर, 2022 द्वारा रू. 141.16 लाख (जी0एस0टी0सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी, आगरा द्वारा पत्रांक: 760/त्व0आ0वि0यो0/2022-23, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 द्वारा इंगित किया गया कि भारत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 03-08-2022 द्वारा निर्माण कार्यों पर जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत लागू कर दी गई है। तत्क्रम में प्रश्नगत कार्य की मूल लागत के सापेक्ष जी0एस0टी0 की दरों में हुई बृद्धि को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया गया। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु जी0एस0टी0 की दरों में हुई वृद्धि को सम्मिलित करते हुए कार्य को रू. 148.23 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने के साथ ही पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अनुमन्य अन्तर की धनराशि रू. 07.07 लाख (रूपये सात लाख सात हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

| कार्य | अनुमोदित मूल लागत | जी0एस0टी0की दरों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि | संशोधित लागत | जी0एस0टी0 हेतु अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| ग्राम बुर्ज खंजर से गढ़ी छैजीत की ओर सड़क का नव निर्माण कार्य | 141.16 (जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत) | 07.07 (जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत) | 148.23 | 07.07 |

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 सितम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 07,07,000 (रूपये सात लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:71/2023/211(1)/35-4-2023/001-514वीआईपी/35-4-2020टीसी-।।। तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आगरा।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।